प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 1706/2024

लता बाई निषाद पिता स्वर्गीय कन्हैया निषाद , 45 वर्ष , निवासी गाँव–चंपारण, निवासी एस. गोबरा–नयापाड़ा, जिला रायपुर (छ.ग.)

–––अपीलार्थी (ओं)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य,पुलिस थाना के द्वारा,पुलिस थाना गोबरा–नयापाड़ा, जिला रायपुर (छ.ग.)

–––उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :––श्री जमील अख्तर लोहानी, अधिवक्ता

उत्तरवादी–राज्य हेतु :––श्री एस. एस. बघेल, उप शासकिय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री बिभू दत्ता गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश के अनुसार,

24.06.2025

1.अपीलकर्ता–अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दायर यह दाण्डिक अपील, विद्वान 9 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर, जिला – रायपुर (छ.ग.) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 58/2020 में पारित दोषसिद्धि और दंड के दिनांक 05/08/2024 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके तहत अपीलकर्ता–अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार दंड पारित किया जाता है:–

दोषसिद्धि	दंड
भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत	आजीवन कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना, चूक होने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास
भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत	5 वर्ष के लिए कठोर कारावास और 1000/– रुपये का जुर्माना, चूक होने पर 1 वर्ष के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास
भारतीय दंड संहिता की धारा 318 के तहत	2 वर्ष के लिए कठोर कारावास और 1000/– रुपये का जुर्माना, चूक होने पर 1 वर्ष के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास

समस्त दंड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया जाता है।

इस मामले में दो अभियुक्त थे, अर्थात् अपीलकर्ता और डोमन साहू।सह–अभियुक्त डोमन को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 22.10.2018 को प्रातः 08.00 बजे ग्राम–डगनिया–चौकी–चंपारण, थाना–गोबरा–नयापारा, जिला–रायपुर में, अपीलकर्ता और सह–अभियुक्त डोमन साहू पर 'दो दिन के नर शिशु' के माथे और गर्दन पर चोट पहुँचाकर हत्या करने का आरोप है, उसके बाद, उन्होंने उसके शव को ग्राम–डगनिया के बाहर नाले–नहर क्षेत्र में फेंक दिया, जिससे उनके बीच अवैध संबंधों के कारण नाजायज बच्चे के जन्म की कहानी को छिपाने के लिए शव को गायब कर दिया गया।उक्त अपराध के संबंध में, अपीलकर्ता के ससुर अमर सिंह निषाद (पीडब्लू–1) ने पुलिस के समक्ष लिखित रिपोर्ट (एक्स.पी/2) दर्ज कराई, जिस पर कोई दिनांक नहीं है।इसके बाद, पुलिस ने वर्तमान अपीलकर्ता और सह–अभियुक्त डोमन साहू के खिलाफ 17–1–2019 को एक्स.पी–29 के तहत एफआईआर दर्ज की।मर्ग सूचना एक्स.पी–3 के तहत दिनांक 22–10–2018 को दर्ज की गई।घटनास्थल का नक्शा प्र.पी–5 के अनुसार तैयार किया गया।उचित अन्वेषण के बाद, पुलिस ने प्र.पी–23 के अनुसार अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया।मृतक (बच्चे) के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्र.पी/21) में, डॉ. शिवनारायण मांझी (पीडब्लू–11) ने कहा कि मृत्यु का कारण सिर और गर्दन पर लगी चोटें थीं, जो सामान्य मृत्यु के लिए पर्याप्त थीं।वर्तमान अपीलकर्ता और सह–अभियुक्त डोमन साहू के साथ बच्चे के रक्त संबंध की पहचान करने के लिए, डीएनए परीक्षण किया गया और उसे एक्स पी/27 के रूप में चिह्नित किया गया।अन्वेषण पूरी करने के बाद, अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई।

2. अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए 13 साक्षीयों से परीक्षा की और 29 दस्तावेज प्रस्तुत किए।अपीलकर्ता का दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने मामले में अपनी बेगुनाही और झूठे आरोप लगाने का दावा किया।

3. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात अपीलकर्ता को उपरोक्त अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे ऊपर वर्णित अनुसार सजा सुनाई, जिसके विरुद्ध अपीलकर्ता–अभियुक्त द्वारा दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और सजा के आदेश पर प्रश्न उठाते हुए यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलकर्ता को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता के ससुर, पी. डब्ल्यू.–1, जिन्होंने लिखित रिपोर्ट (एक्स पी/2) दर्ज कराई थी, अपने बयान से पलट गए हैं और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि घटना 22/10/2018 को हुई थी और प्राथमिकी 17/01/2019 को दर्ज की गई थी, यानी तीन महीने से ज़्यादा की विलंब से।वह आगे प्रस्तुत करते है कि अपीलकर्ता के ससुर, पी.डब्लू.–1 द्वारा दायर लिखित रिपोर्ट, जो कि एक्स.पी.–2 के माध्यम से दर्ज की गई थी, दिनांकित नहीं है। उन्होंने आगे आगे प्रस्तुत करते है कि वर्तमान मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और इसलिए, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और दंड अनुमानों और अटकलों पर आधारित है।विद्वान अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता के ससुर, अर्थात पी.डब्लू.–1, अपने बयान से पलट गए हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, लेकिन उक्त तथ्य पर विचार किए बिना ही, विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया गया।अतः, वर्तमान अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. प्रतिपक्ष, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने दोषसिद्धि और दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने निर्णायक प्रकृति के साक्ष्य प्रस्तुत करके अपराध को उचित संदेह से परे सिद्ध कर दिया है।विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को उपरोक्त अपराध के लिए सही रूप से दोषी ठहराया है, अतः वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

6. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

7. पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या मृतक की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों तथा विशेष रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स.पी/21) पर विचार करते हुए सकारात्मक रूप से दर्ज किया है, जो डॉ. शिवनारायण मांझी (पीडब्लू–11) के साक्ष्य से विधिवत सिद्ध होती है।तदनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स.पी/21) और डॉ. शिवनारायण मांझी (पीडब्लू–11) के बयान को ध्यान में रखते हुए कि मृतक की मृत्यु सिर और गर्दन की चोटों के कारण हुई थी, सिर की चोट सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी और प्रकृति में हत्या थी, हम इस विचार से सहमत हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में पूरी तरह से उचित है कि मृतक की मृत्यु प्रकृति में हत्या है, क्योंकि यह साक्ष्य के आधार पर तथ्य की सही खोज है और यह न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है।तदनुसार, हम एतद्द्वारा उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

8. अब अगला प्रश्न यह होगा कि क्या अभियुक्त-अपीलकर्ता ही इस अपराध का रचयिता है? 9. अपीलकर्ता के ससुर अमर सिंह निषाद (पीडब्लू-1) ने अपने बयान में कहा है कि लता बाई निषाद/अपीलकर्ता उनकी पुत्रवधू है।उन्होंने कहा कि लता बाई के पति की मृत्यु 15-20 वर्ष पूर्व हो गई थी। इस साक्षी के अनुसार अपीलार्थी ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया था, जिसकी मृत्यु के पश्चात लता बाई निषाद ने बच्चे को तालाब के पास दफना दिया था तथा मिट्टी से ढक दिया था। यह कथन किया गया है कि वह गांव/समाज के अन्य लोगों के साथ घटना स्थल पर गया था तथा दूसरे दिन पुलिस ने मृतक/बच्चे का शव बरामद किया था।अपने साक्ष्य के कंडिका-04 में उन्होंने बताया कि उनके घर में उनके समाज की बैठक हुई थी, जिसमें लता बाई निषाद/अपीलार्थी को भी बुलाया गया था और समाज के लोगों ने लता बाई निषाद से बच्चे के बारे में पूछताछ की थी, जिस पर उन्होंने बताया कि उनके और सह-अभियुक्त डोमन साहू के बीच संबंध होने के कारण बच्चा उनके पास पैदा हुआ था और जब अपीलार्थी ने सह-अभियुक्त से बच्चे को रखने के लिए कहा तो उसने लेने से इनकार कर दिया, इसलिए अपीलार्थी ने बच्चे की हत्या कर दी।

10. बलिराम निषाद (अभियुक्त-2) ने अपने कथन में कहा कि वह निषाद समाज का अध्यक्ष है। गाँव के अमर सिंह (अभियुक्त-1) ने उन्हें बताया था कि उनकी बहू ने एक बच्चे को जन्म दिया है।अपने समुदाय की बैठक में अमर सिंह पीडब्लू-1, लता बाई निषाद/अपीलार्थी उपस्थित थे और जब लता बाई निषाद से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चे को खार में एक थैले में रखा गया था और बच्चा थैले में रखे होने के कारण ही मरा था और उसके बाद पुलिस घटना स्थल पर गई और थैले को खोला।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11.डॉ. शिवनारायण मांझी (पीडब्लू-11), जिन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम किया और उन्होंने कहा कि उन्हें 23.12.2018 को विभाग में एक खुला और अस्पष्ट सील वाला शव प्राप्त हुआ और खोलने के बाद, इसमें एक नर भ्रूण, नग्न अवस्था में गर्भनाल से जुड़ा हुआ, यूसी लंबाई 63 सेमी थी।भ्रूण की लंबाई - 49 सेमी. सिर की परिधि - 32 सेमी.खोपड़ी पर कुछ बाल हैं, 2.5 सेमी लंबे, काला क्षेत्र पूरी तरह घना है। वजन 1500 ग्राम।एपिडर्मिस जगह-जगह से उखड़ गया है, ठोड़ी और बायीं ओर के गाल पर त्वचा और कोमल ऊतक गायब हैं, बाकी त्वचा बरकरार है।सड़न की प्रारंभिक अवस्था, आँखें सिकुड़ी हुई, मुँह खुला हुआ। सभी आंतरिक अंग सिकुड़ गए।अस्थिभंग का केंद्र फेंटूर के निचले सिरे पर मौजूद था। पोस्टमॉर्टम में, उन्हें निम्नलिखित चोटें मिलीं:---

(1) खोपड़ी के शीर्ष भाग पर लाल रक्तगुल्म दिखाई देता है जो मृत्यु से 24 घंटे पहले किसी कठोर और कुंद वस्तु से हुआ है, तथा सबड्यूरल रक्तस्राव मुख्यतः आधार पर मौजूद है।

(2) गर्दन के अग्र भाग पर लाल रंग का एक्काइमोसिस मौजूद है।3 □ 2 सेमी अनुप्रस्थ।

(3) दोनों स्कैपुलर क्षेत्रों पर, संपूर्ण अनुप्रस्थ पर लाल रंग का एक्काइमोसिस मौजूद है।सिर और गर्दन पर मृत्युपूर्व कुंद चोट मौजूद है।सामान्य तौर पर ये चोटें मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त होती हैं।

12. चिकित्सक पीडब्लू-11 द्वारा दी गई रायः----------

1. मृत्यु सिर और गर्दन की चोटों के कारण हुई, सिर की चोटें सामान्यतः मृत्यु का कारण बन सकती हैं।

2. मृत शिशु का शव।

3. जीवित और जीवित जन्म।

4. गर्भनाल बिना कटी और खुली हुई पाई गई।

5. मृत्यु की अवधि पोस्टमार्टम से 01 से 03 दिन पहले की है।

13. डीएनए रिपोर्ट में प्र.पी-27 के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद-बी (880) अपीलकर्ता का रक्त नमूना है और अनुच्छेद-ए (879) मृतक/बच्चे की फीमर हड्डी है, जबकि अनुच्छेद-सी (881) सह-अभियुक्त का रक्त नमूना है।परिक्षण के बाद, डीएनए रिपोर्ट से यह पता चलता है कि अनुच्छेद-बी (880) अनुच्छेद-ए (879) की जैविक माता है।इसमें आगे कहा गया है कि अनुच्छेद-सी (881) अनुच्छेद-ए (879) का जैविक पिता नहीं है।

14. अपीलार्थी के ससुर पीडब्लू-1, पीडब्लू-2/बलिराम निषाद, अध्यक्ष निषाद द्वारा की गई उपरोक्त अभिवचन के परिप्रेक्ष्य में, अपीलार्थी द्वारा जन्में बच्चे के सम्बन्ध में गांव में एक बैठक आयोजित की गई थी और उक्त बैठक में अपीलार्थी ने सभी ग्रामीणों और अपने समुदाय के लोगों के सामने स्वीकारोक्ति की थी कि उसने नवजात बच्चे की हत्या की है और बच्चे के शव को एक थैले में भरकर खार में रखा गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टर (पीडब्लू-11) ने कहा कि मृतक/बच्चे की मृत्यु सिर और गर्दन की चोटों के कारण हुई थी और डीएनए रिपोर्ट को देखते हुए, जिसके अनुसार, अपीलकर्ता मृतक/बच्चे की जैविक मां है, यह साबित होता है कि मृतक/बच्चे को लगी चोटें अपीलकर्ता/जैविक मां के कारण आई थीं, जो एक जघन्य अपराध है।

16. जहाँ तक अपीलकर्ता के इस तर्क का संबंध है कि अपीलकर्ता के ससुर अर्थात् पी.डब्लू.-1 अपने बयान से पलट गए हैं, यह विधि की सुस्थापित पूर्वधारणा है कि किसी भी पक्षद्रोही साक्षी के सम्पूर्ण बयान को खारिज नहीं किया जाना चाहिए और केवल वही भाग साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है जो अभियोजन पक्ष के मामले से सुसंगत है।यदि साक्ष्य का अधिकांश भाग अपर्याप्त पाया जाता है, तो भी यदि अवशेष अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अनाज को भूसे से अलग करे।

17. सर्वोच्च न्यायालय ने **पुलिस निरीक्षक के माध्यम से पॉलमी एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में 2014 (13) एससीसी 90 में कंडिका 27 में यह अभिनिर्धारित किया गया :---**

"सुच्चा सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 2003 एससी 3617 में, इस न्यायालय ने अपने विभिन्न पूर्व निर्णयों का संज्ञान लिया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि साक्ष्य का अधिकांश भाग अपर्याप्त पाया जाता है, तो भी यदि अवशेष अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अनाज को भूसे से अलग करे।किसी विशेष भौतिक साक्षी या भौतिक विशेषता का झूठा होना

उसे शुरू से अंत तक बर्बाद नहीं करेगा।"फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओम्निबस" (एक बात में झूठ, हर चीज़ में झूठ) की कहावत भारत में लागू नहीं होती और साक्षी को झूठा नहीं कहा जा सकता है।यदि इस सिद्धांत को सभी मामलों में लागू किया जाए, तो यह आशंका है कि आपराधिक न्याय प्रशासन बंद हो जाएगा। साक्षीयों किसी कहानी को और भी जटिल बनाने में मदद नहीं कर सकते है, हालाँकि, सत्य ही मुख्य है। इसलिए, प्रत्येक मामले में यह मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि साक्ष्य किस हद तक विश्वसनीय है, और केवल इसलिए कि कुछ मामलों में न्यायालय उसे अपर्याप्त या भरोसे के योग्य नहीं मानता, इसका यह अर्थ नहीं है कि कानून के रूप में उसे सभी मामलों में नज़रअंदाज़ कर दिया जाना चाहिए।"

18. प्रस्तुत मामले में, अभियुक्ता ने स्वयं अपने ससुर, पी.डब्लू.-1 और ग्रामीणों के समक्ष, स्वेच्छा से और बिना किसी प्रलोभन के, अपने 2 दिन के शिशु शिशु की हत्या करने के संबंध में न्यायिक स्वीकारोक्ति की। इसके अतिरिक्त, इस स्वीकारोक्ति बयान की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य और अन्य साक्षीयों के बयान के रूप में अन्य साक्ष्यों से भी हुई।

19. यह सामान्य विधि है कि स्वेच्छा से और बिना किसी प्रलोभन के की गई सत्यपूर्ण न्यायेतर स्वीकारोक्ति को स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दोषसिद्धि दर्ज करने का आधार बनाया जा सकता है।(देखें; आर.**कुप्पुसामी बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक अंबीलिगाई ने 2013 में 3 एस. सी. सी. 322 में किया था।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अपीलकर्ता ने दो दिन के नवजात शिशु की मां होने के नाते गुप्त उद्देश्य से उसकी हत्या की है, जिसे अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है और इसलिए, पी.डब्लू.-1 और अन्य ग्रामीणों के समक्ष उसके द्वारा दी गई स्वीकारोक्ति को कमजोर साक्ष्य नहीं कहा जा सकता है ।

21. यह भी सामान्य कानून है कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त के समक्ष भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व न्यायालय का है।दं. प्र. सं. के इस प्रावधान के तहत बयान दर्ज करने का एक मुख्य उद्देश्य अभियुक्त को उसके विरुद्ध उपस्थित परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करना है, साथ ही, यदि अभियुक्त चाहे तो अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना है।इस मामले में भी, अपीलकर्ता ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप पर कोई बयान/आपत्ति नहीं दी है।

22. पूर्वोक्त चर्चा के तहत, हम इस विचारित राय पर पहुंचे हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दं. प्र. सं. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया है।

23. अपीलार्थी को जेल में बताया गया है और उसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई जेल के दंड की शेष अवधि काटनी होगी।रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि इस निर्णय की एक प्रति उस जेल के संबंधित अधीक्षक को भेजी जाए जहां अपीलकर्ता जेल की भोग रही है, ताकि अपीलकर्ता को यह सूचित किया जा सके कि वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है।

24. तदनुसार, दाण्डिक अपील खारिज कर दी जाती है।

25. इस निर्णय की प्रमाणित प्रति मूल अभिलेख के साथ तत्काल विचारण न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

सही/-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
(बिभू दत्त गुरु)
न्यायाधीश

हेडनोट :--

किसी पक्षद्रोही साक्षी के सम्पूर्ण बयान को खारिज नहीं किया जाना चाहिए और अभियोजन पक्ष के मामले से सुसंगत भाग ही साक्ष्य में स्वीकार्य होगा।स्वेच्छा से और बिना किसी प्रलोभन के किया गया सत्यपूर्ण न्यायेतर स्वीकारोक्ति, स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दोषसिद्धि दर्ज करने का आधार बनाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur